

परामर्श

दक्षिण कोरिया गणराज्य शेल्ड अखरोट एवं राँ केला का निर्यात के संबंध में

दिनांक: 14 जनवरी, 2016

प्रिय सभी निर्यातक,

भारत-दक्षिण कोरिया संयंत्र में नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में, ताजे फल और सब्जियों की बाजार पहुंच पर हुई चर्चा।

बैठक के बाद, पशु और पौधों की संगरोध एजेंसी (क्यूआईए) दक्षिण कोरियाई पक्ष ने सूचित किया है कि भारत कीट जोखिम विश्लेषण (पीआरए) किए बिना शेल्ड अखरोट और राँ केले (पका हुआ केला नहीं) का निर्यात कर सकता है, यदि खेप (कनसाइनमेंट) का निरीक्षण संयंत्र संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (एनपीपीओ, भारत) द्वारा किया गया हो और भारतीय संयंत्र संगरोध अधिकारियों द्वारा जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र (पीएससी) द्वारा समर्थित होना चाहिए।

इच्छुक निर्यातक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और शेल्ड अखरोट और राँ केला (पका हुआ केला नहीं) दक्षिण कोरिया को निर्यात कर सकते हैं।

धन्यवाद,

(आर रविंद्र)

उप महाप्रबंधक

स्थान: एपीडा, नई दिल्ली